पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई—मेल: registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांक: 28700 दिनांक: 30-05-2025

ई– निविदा संख्या 01/2025–26

विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी कैमरों की देखरेख एवं मरम्मत से सम्बन्धित कार्यो हेतु वार्षिक अनुबंध(CAMC)

Mode of Bid Submission	On Line (E-Tender)
Procuring Entity	Registrar Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar 332024
Estimated Cost of Tender	12,00,000/-
Tender Start Date for On-line submission of Technical Bid	30-05-2025
Last date & Time of On-line submission of Technical Bid	10-06-2025 till 11.59 PM
Last date & time of submission of DD of EMD processing fee & Tender fee in office	11-06-2025 till 1.00 PM
Date & time of opening of On-Line Technical Bid	11-06-2025 at 05.00 PM

- Cost of E-Tender Document and fee in favour of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Rs. 2000/-
- EMD Bid security for the tender cost @ 2% i.e. Rs. 24,000/-
- E-Tender processing fee in favour of MD, RISL, Jaipur Rs. 500/-

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyaya
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

ई– निविदा संख्या 01/2025–26

(तकनीकी बिड़)

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम, डाक का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर

   ....

   ....

2. किसको सम्बोधित किया –कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. सन्दर्भ : आपकी ई–निविदा सूचना कमांक 01/2025–26 दिनांक 30.05.2025
4. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 30.05.2025 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ –पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)
6. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक.. ....(जारी कर्ता बैंक का नाम) रूपये 24,000/–.के लिए **अमानत राशि** के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।
7. बैंक ड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ....राशि 2000/– ....(जारी कर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (**निविदा शुल्क के पेटे संलग्न**)
8. बैंक ड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ....राशि 500/–.. .... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (**प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न**)

निविदादाता के हस्ताक्षर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांकः

दिनांकः

ई–निविदा कमांक– 01/2025–2026

विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी कैमरों की देखरेख एवं मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों हेतु वार्षिक अनुबंध(CAMC) हेतु ई–निविदा प्रपत्र–वित्तीय बिड

1. निविदादाता/फर्म का नाम : ....
2. निविदादाता का पता : ....
....
....
3. मोबाईल /दूरभाष न. : ....

4. सेवा का प्रकार : सी.सी.टी.वी कैमरों की देखरेख एवं मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों हेत वार्षिक अनुबंध(CAMC)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा जारी ई–निविदा क्रमांक – 01/2025–2026 के सम्बन्ध में जारी जरूरी नियम एवं शर्तों के साथ बाध्य होना स्वीकार करने के साथ उक्त कार्य करने हेतु निम्नलिखित दरें प्रस्तुत करता हूँ:

क.स.	कार्य की प्रकृति	कुल राशि (सभी करों सहित)
1	सी.सी.टी.वी कैमरों की देखरेख एवं मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों हेतु वार्षिक अनुबंध(CAMC)	

हस्ताक्षर निविदादाता मय

मोहर

1. INVITATION TO TENDER

Pandit Deendayal Upadhyay Shekhawati University, hereinafter referred to as **"the University,"** invites sealed tenders from eligible and experienced agencies/firms for providing **Comprehensive Annual Maintenance Contract(CAMC) for the existing CCTV Surveillance System** installed at its campus at admin building, library building, academic building and VC residence .The CAMC will be for a period of one year initially, renewable annually for a maximum of two more years, subject to satisfactory performance and mutual agreement.

---

2. INTRODUCTION

The University has a comprehensive CCTV surveillance system installed across its campus for security monitoring. This system includes a network of IP cameras, NVRs/DVRs, monitors, cabling, and associated software/hardware. The objective of this tender is to engage a qualified service provider for the comprehensive maintenance of this system to ensure its optimal functionality and continuous operation.

---

3. SCOPE OF WORK

The scope of work under this CAMC shall include, but not be limited to, the following:

3.1. Comprehensive Maintenance:

The CAMC shall be comprehensive, covering all parts (except consumables specifically mentioned as excluded) and labour required for the repair and maintenance of the entire CCTV system which are installed under project SITC of CCTV System at Shekhawati University Sikar, SITC of LAN and CCTV System in Acadmic Block,Library and VC Residence at Shekhawati University Sikar.

3.2. Preventive Maintenance (PM):

- **Monthly Visits (Minimum 12 times a year):** Regular inspection and cleaning of all cameras (lenses, housing, mounts), NVRs/DVRs, monitors, and associated equipment.
- Checking and tightening of all connections, cables, and power supplies.
- Verification of camera angles, focus, and image quality.
- Firmware updates for cameras and NVRs/DVRs, if available and approved by the University.
- Checking recording status, hard disk health, and data retention settings of NVRs/DVRs.
- Cleaning of server rooms/equipment racks where NVRs/DVRs are housed.
- Testing of remote viewing capabilities and network connectivity.

- Generation of a detailed preventive maintenance report after each visit.

3.3. Corrective Maintenance (Breakdown Calls):

- **Unlimited Breakdown Calls:** The service provider shall attend to an unlimited number of breakdown calls during the contract period.
- **Response Time:**
    - **Critical Faults** (e.g., NVR/DVR failure, entire system down, 50% or more cameras non-functional): On-site response within 4 hours of receiving the complaint. Resolution within 24 hours.
    - **Major Faults** (e.g., individual camera failure, monitor failure, network issue affecting a zone): On-site response within [e.g., 8] hours of receiving the complaint. Resolution within [e.g., 48] hours.
    - **Minor Faults** (e.g., poor image quality, minor connectivity issues, software glitches): On-site response within [e.g., 24] hours of receiving the complaint. Resolution within [e.g., 72] hours.
- Repair or replacement of faulty components/parts of the CCTV system, including but not limited to cameras (IP/Analog), NVRs/DVRs, Hard Disk Drives (HDDs), power supplies, monitors, cables (CAT5e/6, coaxial, power), connectors, adaptors, switches (PoE/Non-PoE), and associated software licenses (if applicable).
- Provision of genuine spare parts of equivalent or higher specifications.
- Fault diagnosis and rectification.
- Submission of a service report for each breakdown call, detailing the nature of the fault, action taken, and resolution.

3.4. Reporting and Documentation:

- Maintain a logbook at the University's Security Office, recording all preventive and corrective maintenance activities.
- Submit monthly/quarterly performance reports detailing uptime, breakdown statistics, and maintenance activities.
- Provide technical recommendations for system upgrades or improvements, if any.

3.5. Inventory Management:

- Maintain an accurate inventory of all CCTV equipment under CAMC, including serial numbers, locations, and health status.

3.6. Exclusions (Items not covered under Comprehensive CAMC):

- Damages caused by natural calamities (fire, flood, earthquake, lightning, etc.).
- Consumables such as batteries (UPS batteries), fuses .
- Any additional cameras or equipment installed after the signing of this CAMC, unless mutually agreed upon and included through an addendum.

---

4. ELIGIBILITY CRITERIA

Bidders must fulfill the following minimum eligibility criteria:

- The bidder must be a registered firm/company in India.
- The bidder should have at least 1 Certified engineer from Bosch and same certificate should be submitted along with technical bid, failing to submit the same will be liable to rejection.
- Bidder should be authorized dealer for consecutive last 3 years. Certificate should be submitted along with technical bid.
- Bidder should have sufficient spares at their site office .
- Considering the importance & criticality of the system bidder must have their registered office in 150 Km radius to ensure prompt service. GST certificate to be submitted along with technical bid for site address evaluation.
- Bidder should have to submit the specific OEM certificate (MAF) with technical bid stating tender name and number specific for this bid. Failing to submit the same will lead to rejection.
- Bidder should have to do site visit in every 1 month for system health checkup.
- The bidder must have at least 3 years of experience in providing CAMC services for CCTV surveillance systems, preferably in educational institutions or large campuses.
- The bidder must have successfully completed at least 3 similar CAMC contracts of comparable size and complexity (minimum 50 cameras) in the last 3 financial years. Proof of work completion/work orders/satisfactory certificates must be provided.
- The bidder must have a valid Goods and Services Tax (GST) registration.
- The bidder must have a Permanent Account Number (PAN).
- The bidder should not have been blacklisted by any Central/State Government Department, PSU, or any other organization in India. An undertaking to this effect must be submitted.
- The bidder must have an average annual turnover of at least INR 50 Lakhs in the last 3 financial years. Audited financial statements/CA certificates must be provided.
- The bidder must have sufficient technical staff, including certified technicians experienced in CCTV installation, troubleshooting, and maintenance. Details of technical staff (number, qualifications) should be provided.

5.1. Clarifications:

Bidders may seek clarifications regarding the tender document in writing to the issuing authority up to 2 days before the last date of submission. No telephonic queries will be entertained.

5.2. Rights of the University:

The University reserves the right to accept or reject any or all tenders, in part or full, without assigning any reason whatsoever. The University also reserves the right to relax/modify any of the terms and conditions in the interest of the University.

---

6. TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

6.1. Contract Period:

The contract will be initially for a period of one year from the date of signing the agreement, renewable annually for a maximum of two additional years, subject to satisfactory performance and mutual agreement.

6.2. Performance Security:

The successful bidder shall furnish a **Performance Security** equivalent to 5% of the total contract value. The performance security shall be in the form of a Bank Guarantee from a nationalized/scheduled bank or a Fixed Deposit Receipt (FDR) pledged in favor of Registrar. The EMD of the successful bidder will be adjusted against the performance security. The Performance Security will be released after 60 days of successful completion of the contract period.

6.3. Service Timings:

The service provider shall perform maintenance activities during the University's working hours 10:00 AM to 5:00 PM, Monday to Saturday, unless otherwise mutually agreed for specific critical repairs.

6.4. Quality of Workmanship and Spares:

The service provider shall ensure high-quality workmanship and use genuine, new, and compatible spare parts of the same or higher specifications as the original equipment. The replaced parts will become the property of the University.

6.5. Safety and Security:

The service provider's personnel shall adhere to all safety regulations and security protocols of the University campus. They shall not cause any disturbance or nuisance during their work. Proper identification cards shall be worn by all personnel at all times while on campus.

6.6. Indemnity:

The service provider shall indemnify the University against any loss, damage, or liability arising out of any acts of omission or commission, negligence, or misconduct by their personnel during the contract period.

6.7. Confidentiality:

The service provider and its personnel shall maintain strict confidentiality of all information related to the University's security systems, data, and operations.

6.8. Training:

The service provider may be required to provide basic operational training to University staff on the CCTV system as and when requested, free of charge.

6.9. Statutory Compliance:

The service provider shall comply with all applicable labour laws, statutory regulations, and other laws of the land throughout the contract period.

6.10. Escalation Matrix:

The service provider shall provide a clear escalation matrix with contact details for various levels of support.

---

7. PAYMENT TERMS

- Payment will be made quarterly in arrears upon successful completion of the maintenance period and submission of satisfactory service reports, duly certified by the authorized University official.
- No advance payment will be made.
- All payments will be subject to applicable TDS (Tax Deducted at Source) and other statutory deductions.
- Invoice must be accompanied by detailed service reports and preventive maintenance checklists.

---

8. PENALTY CLAUSE

- In case of failure to meet the specified response and resolution times for breakdown calls, a penalty will be imposed as follows:

- For **Critical Faults**: 0.5% of the quarterly CAMC value per day or part thereof, subject to a maximum of 5% of the quarterly CAMC value for each incident.
- For **Major Faults**: 0.25% of the quarterly CAMC value per day or part thereof, subject to a maximum of 2.5% of the quarterly CAMC value for each incident.
- For **Minor Faults**: 0.1% of the quarterly CAMC value per day or part thereof, subject to a maximum of 1% of the quarterly CAMC value for each incident.

- Repeated failure to provide satisfactory service, failure to attend preventive maintenance, or non-compliance with contract terms may lead to forfeiture of Performance Security and/or termination of the contract.

9. TERMINATION OF CONTRACT

The University reserves the right to terminate the contract by giving [e.g., 30] days' written notice in the event of:

- Breach of any terms and conditions of the contract by the service provider.
- Unsatisfactory performance despite repeated warnings.
- Bankruptcy or insolvency of the service provider.
- Any other reason deemed fit by the University in its sole discretion, without assigning any reason.

In case of termination due to service provider's default, the Performance Security may be forfeited, and the University may get the work completed at the risk and cost of the defaulting service provider.

List of Items to be covered under CAMC

SITC of CCTV System at Shekhawati University Sikar,

S.NO	ITEM DESCRIPTION	QTY.	MAKE
1	Bosch (NII-51022-V3) IP Dome Camera with Night Vision. Sr.No.094736281873260018, 094736285651340032,094736285651340028, 094736285651340030,094736285651340022,094736285651340027,094736285651340025,094736281873260009,094736285651340073,094736285651340078,094736285651340077,094736285651340076,094736285651340075,094736285651340074,094736285651340064,094736285651340068,094736285651340065,094736285651340063,094736285661150056,094736285661150057,094736285661150046,094736285661150045, 094736285661150047,094736285661150054,094736285661150044,094736285661150017,094736285661150052,094736285661150051,094736281873260006,094736281873260062,094736281873260070,094736281873260008,094736281873260068,094736281873260069,094736281873260021,094736281873260016,094736281873260073,094736281873260005,094736281810840054,094736281810840059,094736281810840060, 094736281810840062,094736281709680049,094736281709680052,094736281810840049,094736281810840050,094736281810840053,094736281810840047,094736281801030005,094736281801030015,094736281801030002,094736281801030003,094736281801030008,094736281801030010,094736281801030001, 094736281801030016,094736281801030011,094736281801030004	58	BOSCH
2	Bosch Bullet Camera (NBE-4502-AL) Sr.No.404516981810012102, 404516991826012114,404516986020012282, 404516981810012113,	4	BOSCH
3	Bosch DIVAR IP 6000 2U, (DIP-6180-00N) with 64 TB HDD Sr.No.404344185629360O3	1	BOSCH
4	Cisco (WS-C2960X-24PS-IN) Catalyst 2960-X-24 Giga, Switch. Sr.No.SJIN2314107C, SJIN23141067,SJIN23031061,SJIN2314107D, SJIN23141054,SJIN23141051, SJIN2308101L, SJIN23081007,SJIN23141068,SJIN23081017, SJIN2314107L,SJIN22461082.	12	CISCO
5	Connection cables		

SITC of LAN and CCTV System in Acadmic Block,Library and VC Residence at Shekhawati University Sikar,

S.NO	ITEM DESCRIPTION	QTY.	MAKE
1	Bosch (NII-51022-V3) IP Dome Camera With Night Vision. 094736291763650139,094736291763650016,094736291763650146,094736291763650107,094736291763650036,094736291763650005,094736291763650024,094736291763650031,094736291763650037,094736291763650002,094736291764140073,094736291764140069,094736291764140071,094736291764140066,094736291764140067094736291764140070,094736291764140074,094736291764140076,094736291764140072, 094736291764140082,094736291763650057,094736291763650043,094736291763650052,094736291763650054,094736291763650053,094736291763650056,094736291763650059,094736291763650062,094736291763650051,094736291763650058,094736291764140010,094736291764140063,094736291764140062,094736291764140057,094736291764140060,094736291764140059,094736291764140061,094736291764140054, 094736291764140,064,094736291764140058,094736291764450048,094736285544040005,094736291764450053,094736291764450055,094736255862400004,094736281709680062	46	BOSCH
2	Bosch (NBE-3502-AL) DINION IP 3000i IR Bullet 2MP HDR S.NO 404636607413012025,404636607411012672,404636607412012703,404636607413012611,404636607413012564,404636607413012572,	6	BOSCH

List of Items to be covered under CAMC			
3	Bosch (DIP-6180-00N) DIVAR IP 6000 2U Storage S.NO 404344185629360002	1	BOSCH
4	Cisco (WS-C2960+24TC-S) Catalyst 2960 24 Port 10/100 + 2T/SFP LAN Lite Image Switch SFOC2418LFXP,SFOC2418LFZT,SFOC2418LGTB,SFOC2418LGTD,SFOC2418LGV6,SFOC2418LG2Q,SFOC2418LG2X,SFOC2418LG2Z,SFOC2418LG3U,SFOC2418LG31,SFOC2418LG43,SFOC2418LG44,SFOC2418LG55,	13	CISCO
5	Lenovo Desktop E2054 LCD Monitor -SVKX08441,SVKAX6114	2	LENOVO
6	10SRS03D00-Lenovo Desktop I5-8400 (M720TW B360 I5-8400/4GB DDR4 3 Vedio Ports 64 Gb Expandable S.NO SPG01EXES	1	LENOVO
7	Lenovo (10NLS0GK00) I5 7400 4GB 1TB DOS Core I5, -7400, 8GB RAM, 1TB HDD, DVD, DOS S.NO SPG01QGFF	1	LENOVO
8	Cisco (CBS350-24P-4G-IN) 24 Port Switch FOC2617Z63C,FOC2617Z73Q,FOC2617Z7DF,FOC2617Z7GD,	4	CISCO
9	Cisco (WS-C2960S-24TS-L) Catalyst 2960S 24 GigE 4 X SFP LAN Base Image Switch S.NO SFOC1833W0RM	1	CISCO
10	Cisco (WS-C2960X-24TS-L) Catalyst 2960-X 24 GIGE 4 X1G BKCD SFP, Lan Base 4 X1G BKCD SFP, Lan Base S.NO SJIN22521096	1	CISCO
11	Extreme (1021832 X440-G2-24x-10GE4) 20 SFP Ports +4 Combo SFP Managed Layer -3 Switch 1906N-41507	1	EXTREME
12	Cisco (WS-C2960X-24PS-L) LAYER-2 SWITCH FOR CCTV S.NO SJIN2315103Y	1	CISCO
13	Connection cables		

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक.................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....
तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी केा, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थात:
   क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण

ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

4. **अपील का प्रारूप.**– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2)प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3)प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.**–

(1)प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2)फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.**–

(1)प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील

का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :..

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :...

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता

है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

....

....

....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना : ....

....

....

स्थान : ....

तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील